Demands of the All India Kendriya Vidvalaya Teachers' Association

*107. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:

SHRI ASHOK NATH VERMA:†

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether he has received a copy of the open letter to the Prime Minister written by the General Secretary, All Inida Kendriya Vidyalaya Teachers' Association;

(b) if so, what are the details of the issues raised therein; and

(c) what is the stand of Government on each of these issues?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Besides some references to routine administrative matters, the letter speaks of non-implementation of Joint Consultative Machinery and of the recommendations of Chattopadhyay Commission. **It also refers to non-representation** of employees on the Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors. There is mention of resort to constitutional agitation if the grievances are not redressed. While Government have taken decisions on the recommendations of the Chattopadhyay Commission, the Government is always prepared to discuss with the employees any genuine grievance so that reasonable solution could be arrived at.

श्री अलोक नाथ वर्मा : सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने प्रधान मंत्रीजी को जो मेमोरेंडम भेजा है, उसमें उनकी शिकायत यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एडहॉक अपाइंटमेंट्स होते हैं और उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इस संदर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अपाइंटमेंट्स होते समय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ से बात की जाती है? अगर नहीं की जाती है तो क्यों नहीं की जाती है और इस बारे में सरकार की क्या राय है?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, यदि सम्माननीय सदस्य का तात्पर्य शिक्षकों के प्रतिनिधियों से है तो उसका एक दूसरा उत्तर है। अगर आपका तात्पर्य डायरेक्टर्स के अपाइंटमेंट्स से है तो उसके लिए तो शिक्षकों से पूछने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जे०सी०एम० में शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न जरूर अभी उलझा हुआ है। उसका एक कारण यह है कि जो शिक्षक संगठन है, उन संगठनों में विभाजित मत है। उसकी वजह से उस प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं किया जा सका है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा यह प्रयास है कि जिस प्रकार से भी कोई एक रास्ता निकले। जे०सी०एम० में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना इस संगठन के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है और उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा।

श्री अलोक नाथ वर्मा : सभापति महोदय, विवाद के जो मसले शिक्षक संघ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उन मसलों को जल्द-से-जल्द सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है और कब तक द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, जहां तक वार्ता का प्रश्न है, एक तो जे०सी०एम० एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से इस प्रकार के विषय सामने आते हैं, उन पर विचार होता है और फैसले होते हैं। यदि द्विपक्षीय का मतलब यह है कि मुझे बात करनी चाहिए तो मैं आपको यह सूचित करूंगा कि इनका प्रतिनिधि मंडल पिछले 6 अगस्त को मुझे मिला था और मैंने उनसे यह कहा है कि पार्लियामेंट का सेशन समाप्त होने के बाद मुझे ज्यादा समय मिल सकेगा और पुनः उन लोगों से चर्चा करूंगा।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ashok Nath Verma.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया और उनका उत्तर काफी सकारात्मक है, लेकिन कागजों में सकारात्मक उत्तर के बावजूद कार्य पक्ष हमेशा उदासीन और नकारात्मक रहा है। केन्द्रीय संगठन के संबंध में, केन्द्रीय संस्थान के संबंध में और विद्यालयों के संबंध में एक लंबे अरसे से उनकी मांगें उपेक्षित हैं।

श्री सभापति : उन्होंने कहा कि बातचीत करेंगे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, कब बात करेंगे क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता की मांग कब से चल रही है।

श्री सभापति : उन्होंने कहा कि सेशन खत्म होने के बाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, इस विषय में मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि आखिर क्या बात है कि उनकी तमाम मांगें, जिनका कि आर्थिक पक्ष नहीं है, आर्थिक पक्ष गौण हैं, सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन से बहुत-सी मांगों को मान्य किया जा सकता है। महोदय, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सिद्धांत तौर पर इस बात को स्वीकार किया था कि शासी मंडल और केन्द्रीय संस्थान में इन शिक्षकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए इसके बावजूद आज तक इस पक्ष पर अमल करने में क्या दिक्कत आ रही है, मैं यह समझ नहीं पा रही हूं। इसलिए मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय कोई संतोषजनक उत्तर दें ताकि हमें समझ में आए कि व्यावहारिक दिक्कतें क्या हैं। अगर व्यावहारिक दिक्कतें हैं तो वे शिक्षक संगठनों को बुलाकर क्यों नहीं बात कर रहे ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आदरणीय सदस्या ने कम-से-कम सकारात्मक रुख को स्वीकार किया। वह सकारात्मक रुख परिणामों में परिणत हो, इसमें हमें आपकी भी सहायता की जरूरत है और इन शिक्षक संस्थानों की भी सहायता की जरूरत है। कोई भी दिक्कत नहीं है मिलकर बात करने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के बहुत पक्ष में नहीं हूं कि पहले सैद्धांतिक निर्णय ले लिया जाय और फिर उसका हल ढूंढा जाय कि इस निर्णय को कैसे कार्य रूप में परिणत करना है। सबसे पहले, निर्णय करने के बाद क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उन पर विचार होना चाहिए, उन पर विस्तार से फैसला होना चाहिए और फिर उसको सामने लाकर करना चाहिए बजाय इसके कि सैद्धांतिक निर्णय ले लें और उसके अमल में आने वाली जो दिक्कतें हैं उनके बारे में हम अनभिज्ञ रहें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : जाहिर है कि निर्णय लेने के दौरान बात करेंगे। इसमें दिक्कतें आनी हैं। बिना दिक्कतों के समझौता स्वीकार करना सिद्धांत रूप में . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप दिक्कतों के बारे में बात करिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सर, मेरा आशय सिर्फ यह था कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया था। तो जाहिर है कि उसने, इसके पक्ष-विपक्ष क्या हो सकते हैं या सकारात्मक-नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं, इसको विचार करके निर्णय लिया। अब आपकी सरकार या तो उसकी पुनः परीक्षा करे, जो कि आम तौर पर सरकारें किया करती हैं। यह उनकी इतने लंबे अर्से से चली आ रही मांगें हैं और केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमानों में अंतर है, दिल्ली में अलग है तो दूसरी जगह अलग है, जगह-जगह अंतर है। इसलिए मैं जानना चाहूंगी आप इन मांगों पर गंभीरता से विचार करें और जल्दी से जल्दी उनकी मांगों के ऊपर ध्यान दें। इसके लिए जल्दी से जल्दी आप एक बैठक बुलाएं और इन तमाम मांगों पर विचार करें।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मैं किसी शासन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। मैंने तो अपने दृष्टिकोण का परिचय दिया। किसने क्या किया? उन्होंने बहुत अच्छा किया, अच्छा ही किया होगा। यह बात मैं मानकर चलता हूं। यहां तक इन लोगों से बैठकर बात करने का सवाल है, मैं पहले ही सदन को सूचित कर चुका हूं कि सेशन के बाद मैंने उन लोगों से कहा है कि हम उनको बुलाकर, बैठकर बात करेंगे और जो विषय निर्णय के लिए है, उन पर क्या निर्णय अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे।

SHRI SARADA MOHANTY: Mr. Chairman, Sir, I want to know from the Minister whether teachers have been transferred to places where there are no vacancies. There is a demand from the teachers association that this may be revoked. I want to know from the Minister whether the Government is going to accept the demand made by the association.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, on the question of transfer, there is a guideline. If any particular case is brought to me, then, I will certainly look into it and see that justice is done. If any special treatment is required that will also be done.

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, अध्यापकों के महासचिव ने जो अपना खुला पत्र दिया था, उसमें चट्टोपाध्याय कमीशन की जो सिफारिशें थीं और जिसके संबंध में आपने कहा है कि निर्णय लिया गया है तो उन निर्णयों के संबंध में कुछ विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था, उस संबंध में मेरा प्रश्न यह है कि जिन विसंगतियों की ओर खुले पत्र में ध्यान आकर्षित किया गया है, उस पर सरकार का क्या विचार है और क्या उन विसंगतियों से सरकार सहमत है?

श्री अर्जुन सिंह : सर, मैं सुन नहीं पाया। मालवीय जी, कृपा करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा प्रश्न यह है कि जो खुला पत्र दिया है अध्यापकों के महासचिव ने प्रधान मंत्री जी को और जिसकी प्रतिलिपि आपके पास भी भेजी गई है, जो डी०पी० चट्टोपाध्याय कमीशन रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में आपने यह सब दिया है कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, यानी जो निर्णय लिए गए हैं पहले के भी और बाद के भी, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि इनमें कुछ विसंगतियां हैं। मैं उन विसंगतियों के संबंध में जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या प्रक्रिया है? क्या रुख है? और, कब तक उनके संबंध में सरकार निर्णय ले लेगी?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, एक निर्णय लेने के बाद कुछ नए तथ्य भी सामने आते हैं, कहीं विसंगतियां भी सामने आती हैं। मूल रूप से इस पर निर्णय हो चुका है, लेकिन यदि कोई विसंगतियां हैं, जिसका प्रभाव संगठन के संचालन में या अध्यापकों के ऊपर पड़ता है तो उन विसंगतियों पर विचार करना मैं आवश्यक समझता हूं। जरूर विचार किया जाएगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तो अत्यावश्यक है ही, लेकिन शिक्षकों द्वारा राज्य-आदेशों व संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन भी अत्यावश्यक है। हो यह रहा है कि छोटे-छोटे कस्बों में या जिन शहरों में जहां पर केन्द्रीय विद्यालय हैं, वहां पर सरकारी कर्मचारी अनुसूचित जातियों के कम हैं और उनके बच्चे भी कम हैं। उन शहरों में इन जाति के कुछ बच्चे दाखिला लेने जाते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह के निर्देशन इन विद्यालयों को और अध्यापकों को जारी किये जायेंगे कि वे आरक्षण नीति का भी अनुसूचित जातियों के बच्चों को दाखिले में सख्ती से अनुपालन करें ?

श्री अर्जुन सिंह : यह तो कोई एतराज की बात हो नहीं । अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसे निश्चित रूप से किया जाएगा ।

*108. [*The questioners (Shri Chatturanan Mishra and Shri Jagadish Jani) were absent. For answer vide col,* 41-42 infra].

*109. [*The questioner (Shri Harvendra Singh Hanspal) was absent. For answer,* vide *col.* 42-43 infra].

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir, I put the question.

MR. CHAIRMAN: You cannot put the question on behalf of somebodyelse.

चुनावों में इलैक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग†

***110. श्री अजीत जोगी : ***

कुमारी आलिया :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुनावों में होने वाले व्यय में कमी करने के लिए चुनावों में इलैक्ट्रोनिक-यंत्रों का प्रयोग आरम्भ करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस संबंध में कोई कार्य-योजना बनाई गई है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) निर्वाचन-आयोग के पास कितने इलैक्ट्रोनिक-यंत्र हैं और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(घ) निर्वाचन आयोग ने इन यंत्रों का अब तक कितनी बार प्रयोग किया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Representation of the People Act, 1951, has been amended by inserting section 61A enabling the use of electronic machines. The design of the electronic voting machines was finalised and two public sector undertakings have already started producing machines. So far, 1,50,444 machines have been acquired at a cost of around Rs. 75.25 crores. These machines have been distributed among the State Governments and the Union Territories.

It is proposed to use the electronic voting machines in all bye-elections and countermanded elections which may be held after 1st October, 1991. It is expected that after five years, these machines will be used in all elections.

(d) A statement is placed on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ajit P. K. Jogi.